राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गोमा बनाम भूरी 464/2023 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली रेस्पो. की मौखिक/लिखित बहस हेतु दिनांक 22/05/2026 को पेश हो।	
22/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 01/06/2026 को पेश हो।	
01/06/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 17 के पूर्वज एवं रेस्पो. संख्या 18 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 26/06/2012 पारित करते हुये प्रतिवादीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर समायत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16/05/2016 पारित करते हुये पूर्व में पारित आदेश दिनांक 26/06/2012 को दावे के निर्णय तक उभयपक्षों को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 3 के प्रावधानों का अनुसरण किये बिना ही ईवा प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ का परीक्षण/विवेचन किये बिना ही सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटी कारित की गयी है एवं चूँकि विचाराधीन प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल प्रकरण विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है, जिससे दोनों पक्ष सहखातेदार है, ऐसी स्थिति में वाद के निस्तारण के माध्यम से सहखातेदारान/पक्षकारान के मध्य विभाजन होने तक यदि विवादग्रस्त भूमि के मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है तो पक्षकारान के मध्य नवीन विवाद उत्पन्न होना सम्भव है, जिसे रोका जाना न्यायहित में आवश्यक समझा जाता है। ऐसा स्थिति में अपीलाधीन आदेश	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गोमा बनाम भूरी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

464/2023

के माध्यम से राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रदान अनुतोष को निरस्त कर मौके की यथास्थिति को बनाये रखे जाने का आदेश प्रदान किया जाना उचित समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26/06/2012 निरस्त किया जाकर ता-फैसला वाद विवादग्रस्त भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है | तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 01/06/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |